# अनुमंडल कृषि कार्यालय, लातेहार।

## अति अल्पकालिन निविदा सूचना।

विभागीय राज्यादेश संख्या 63 दिनांक 10.01.2024 के आलोक में कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची के आवंटनादेश 1676 दिनांक 08.04.2024 द्वारा राज्य योजनान्तर्गत मुख्यशीर्ष–2401 फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 789 – अनुसूचित जातियों के लियें विशेष घटक योजना एवं लघु शीर्ष – 115 छोटे/उपांतक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना मद में आवंटन प्राप्त है।

**LEAF COLOR CHART** के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की सूची निम्न प्रकार है।

| S.No. | Name of Instruments and Accessories | Specification | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Leaf Color Chart | State Agriculture University/ICAR Approved For Wheat – 6 Panel Leaf Color Chart | Price in 1 no with all Taxes |

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 15.01.2025 के अपराहन 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदा प्राप्त नही होने पर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा खोलने की तिथि 16.01.2025 एवं समय 11:00 बजे पूर्वाहन अनुमंडल कृषि कार्यालय, लातेहार में निर्धारित है।

नियम एवं शर्तें atmalatehar.in एवं अनुमंडल कृषि कार्यालय के सूचना पट् पर देखी जा सकती है।

07/01/25

अनुमंडल कृषि पदाधिकारी
लातेहार।

निविदा आमंत्रण हेतु आवश्यक शर्ते :–

01. सभी निविदाये द्वि लिफाफ प्रणाली (Double Envelope System) के अनुसार डाली जायेगी।
02. निविदादाता एक लिफाफ में साफ –साफ शब्दों में तकनीकी बीड लिखकर उस में निविदा के साथ मांगे गये सारे कागजात एवं प्रमाण–पत्र (अग्रधन राशि का ड्राफ्ट सहित) डालेंगे एवं उसे मुहर बंद करेंगे तथा उस पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ अक्षरों में लिखेंगे।
03. दूसरे लिफाफ में साफ–साफ अक्षरों में वितीय बीड अंकित करेंगे एवं उसे लिफाफ में डाल कर मुहर बंद करेंगे। उस लिफाफ में दर के अलावे कोई अन्य कागजात नही डाला जायेगा।
04. तकनीकी बीड एवं वितीय बीड दोनो मुहरबंद लिफाफे को एक साथ तीसरे लिफाफा में डालकर उस लिफाफे को मुहर बंद करके और उस पर साफ–साफ अक्षरों में लिखेंगे– **अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, लातेहार के लिए Leaf Color Chart** के लिए निविदा। उस लिफाफा पर अपना नाम, पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, लातेहार के पदनाम से मुहर बंद लिफाफा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा करेंगे।
05. तकनीकी बीड वाले लिफाफा में अद्यतन आयकर रिटर्न, अद्यतन GST रिटर्न, जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण–पत्र एवं काली सूची में नाम दर्ज ना होने का नोटरी का शपथ पत्र, एवं निमार्णकर्ता/प्रतिष्ठानों/प्राधिकृत एजेन्सी राष्ट्रीय/राजकीय अधिकृत आपूर्तिकर्त्ता का नाम एवं अद्यतन प्राधिकार पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
06. निविदा में सर्वप्रथम तकनीकी बीड वाले लिफाफा को खोला जायेगा। निविदा में संबंधित सभी आवश्यक कागजात सही पाये जाने पर उनका वितीय बीड वाला लिफाफा खोला जायेगा।
07. निविदा प्रक्रिया में उच्च गुणवता वाले सामग्रियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
08. मुहरबंद निविदा नहीं रहने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
09. जिन निविदा दाताओं की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी, उनका अग्रधन के रूप में जमा बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। निविदा अन्तर्गत न्यूनतम दर पर एक से अधिक निविदा दाता होने पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जो अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय का क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायालय,लातेहार का होगा। निविदा दाता के बीच कार्यादेश निर्गत करने एवं निविदा को पूर्णतः/अंशतः स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा। निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का नियम सम्मत् निर्णय लेने की स्वतंत्रता अधोहस्ताक्षरी की होगी।
11. निविदा के साथ 10000.00 (दस हजार रू0) का बैंक ड्राफ्ट अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, लातेहार के पदनाम से जमा करना होगा।
12. आपूर्ति आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य करना होगा।
13. निविदा उल्लेखित दर के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान परिवहन अथवा अधिष्ठापन के लिए देय नहीं होगा।
14. सामग्री का रख–रखाव अगामी 01 वर्ष तक आपूर्तिकर्त्ता को करना होगा।
15. दर सभी कर सहित होगा।
16. आवंटन की उपलब्धता के अनुसार निविदा में वर्णित सामग्री की संख्या/मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है।
17. निविदा के माध्यम से दर निर्धारित किये जाने के क्रम में न्यूनतम उदृत दरों के सम्बन्ध में सम्बद्ध पत्रों के साथ आपसी वार्त्ता के आधार पर कार्यादेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा। अधिक निविदा दाताओं को इसी आधार पर कार्यादेश देने का अधिकार अधोहस्तारी को सुरक्षित होगा।

18. सम्बन्धित निविदा दाता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सामग्रियों की आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये निर्देश के विवरण के अनुरूप हो।
19. संबंधित निविदादाता State Agriculture University/ ICAR Approved होना अनिवार्य होगा।
20. निम्न गुणवत्ता वाले सामग्रियों की आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन कार्य में लापरवाही के कारण यदि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए सम्बन्धित निविदा दाता को दोषी मानते हुए उनके जमानत राशि को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध विधि–सम्मत् आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। साथ ही उक्त कार्य हेतु समर्पित विपत्र का भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
21. समान प्रकृति वाले कार्य का अनुभव प्रमात्र पत्र संलग्न करने वाली संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी।
22. निविदा बिना कारण बताये रद्द करने अथवा एक या एक से अधिक निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
23. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 15.01.2025 के माध्याह्न 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित है।
24. निविदा खोलने की तिथि 16.01.2025 एवं समय 11:00 बजे पूर्वाहन अनुमंडल कृषि कार्यालय, लातेहार निर्धारित है।

07/01/25

अनुमंडल कृषि पदाधिकारी
लातेहार।